शेरसिंह आदि बनाम हवासिंह

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

०न० –47/2025

नवान : –

1. शेरसिंह पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।

:–वादीगण

बनाम

1. हवासिंह पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:–प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र गढ़वाल व वकील प्रतिवादीगण श्री कृष्ण भारी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाद पत्र में वर्णित चक चक 6 जे.एस.एल. के खाता संख्या 232/194 में मुरबा नम्बर 83 के किला नम्बर 11 में से 0.039 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक 6 जे. एस. एल. पटवार हल्का झांसल के खाता संख्या 232/194 में से हंवासिंह का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) भादरा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंक़न किया जावे। भमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैर मुमकिन) पूर्वानुसार रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़ — सत्यमेव जयते)

(भागीरथ राम)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:54:02 IST
Reason: SelfAttested